राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
शासन सचिवालय जयपुर
(Ph:–0141–2227229, Email ID:- pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक प. 5(48)ग्रावि/अनु.–8/CSLRIS/2021 जयपुर, दिनांक :– 11/08/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में Chief Secreatary's Letters Earmarked for Action & Response System (CLEARS) एवं Pink Letter System (PLS) की समीक्षा बैठक दिनांक 02.08.2021 के दौरान जिला कलेक्टर्स द्वारा विभागवार सुझावों दिये गये है। इस सम्बंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा सम्बंधित विभागों को उक्त सूझावों पर अध्ययन करने एवं नीतिगत, विधिक एवं वित्तीय वांछनाओं के सापेक्ष इनकी व्यावहारिकता का परीक्षण कर अपनी राय/प्रस्तावों हेतु निर्देशित किया गया है।

विभाग को प्राप्त सूझावों के सम्बंध में शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2021 को बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

- बैठक में शासन सचिव महोदय के द्वारा उपस्थित समस्त योजना प्रभारियों को जिला कलेक्टर्स से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करने एवं नीतिगत, विधिक एवं वित्तीय वांछनाओं के सापेक्ष इनकी व्यावहारितकता का परीक्षण कर संक्षिप्त औपचारिक एवं वास्तविक रूप में अपनी राय/प्रस्तावों/टिप्पणी देने के निर्देश दिये गयें।
- ऐसे बिन्दु जो अन्य विभाग से सम्बंधित है उन बिन्दुओं/सूझावों पर टिप्पणी/कार्यवाही हेतु हस्तानांतरित करने हेतु लिखा जावें।
- सम्बंधित अनुभागों से बिन्दुओं/सुझावों पर टिप्पणी/कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत अनुपालना भिजवाई जावें।
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित कॉल सेन्टर को राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाईन 181 से सिंक्रोनाइज़ कर ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की शिकायत/योजनओं की जानकारी उपलब्ध करवायें जाने की व्यवस्था की जावें।
- परि. निदे. एवं उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, परि. निदे राजीविका एवं स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पिछले 3 वर्षो में अनुसूचित जाति की बस्तियों में किये गये कार्यो की जानकारी की सूचना मोएवं मू अनुभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये।

(बी.एल.वर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:—

1. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव (वित्त एवं लेखा), ग्रावि।
2. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (ईजीएस), मनरेगा।
3. शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू./एसएपी–I/II), ग्रावि।
5. परियोजना निदेशक (एलपी एण्ड एसएचजी), राजीविका।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
7. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
8. रक्षित पत्रावली

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)